

आदेश

श्री अजय कुमार पुत्र श्री नेक चन्द, पंचायत समिति सिरसा के पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नं० 08, निवासी गांव नटार खण्ड व जिला सिरसा द्वारा पंचायत समिति सदस्य के पद से दिया गया त्याग पत्र/शपथ पत्र दिनांक 20.08.2025 जो उपायुक्त, सिरसा के सिफारिश पत्र क्रमांक 4136/पी0ए0/पंचायत-2025 दिनांक 15.09.2025 सहित प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

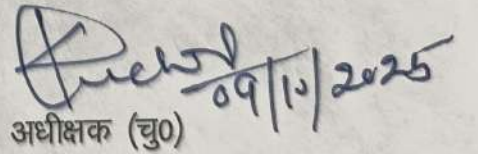
चण्डीगढ़, दिनांक
06.10.2025

दुष्मन्ता कुमार बैहेरा, आई0ए0एस0
महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई0सी0ए02-2025/ 51070-76 दिनांक : 13/10/25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
2. उपायुक्त, सिरसा के सिफारिश पत्र क्रमांक 4136/पी0ए0/पंचायत-2025 दिनांक 15.09.2025 के संदर्भ में।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सिरसा।
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सिरसा।
5. अध्यक्ष, पंचायत समिति सिरसा (खण्ड व जिला सिरसा)।
6. श्री अजय कुमार पुत्र श्री नेक चन्द, निवासी गांव नटार, तहसील व जिला सिरसा।
7. आई0टी0 सैल, मुख्यालय।


अधीक्षक (चु०)

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।

Gorind/Mohit